

अनुमति की शर्तें ।

- (i) जका भवन/पुस्तक के निर्माण की स्वीकृति व्यक्तिगत सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (व्यापिक अथवा गैर-व्यापिक) नदी द्वारा अपना होने की स्थिति में विवाद को कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही विवाद किसी स्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही अव्यक्त विवाद को सुलझा करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शों के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत विरलता की जा सकती है ।

फ़कल सिडनी केवल शासकीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

सी + 1
शासकीय

आवेदन क्रमांक 180 दिनांक 16/09/2019
 प्राथी वीरेंद्र सिंह डांडी मोडर्न क्लर्क चौधरी
 ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009
 धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासाय P.No: 728 प्रबन्ध की स्वी
 भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश अनुमति प्रदान
 कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 116231/- रु।
 जारीये रसीद संख्या 1028/3855, 3856
 दिनांक 16/09/2019 को जमा करा दी है ।

प. व. टांडे
 सहायक नगर नियोजक
 नगर निगम, जोधपुर

वीरेंद्र सिंह - चौधरी
 R. No 8233348486